आरटीओ ने स्कूली वाहनों की चेकिंग की

भोपाल, 14 अगस्त. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जितेंद्र शर्मा के निर्देशन में परिवहन अधिकारी टीएसआई रितु रघुवंशी एवं परिवहन आरक्षक प्रशांत यादव, धर्मेंद्र ठाकुर, संदीप तिवारी द्वारा स्कूली वाहनों की चेकिंग के लिए सघन अभियान चलाया गया.

चेकिंग के दौरान 5 वाहनों को जब्त कर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में सुरक्षार्थ खड़ा करवाया गया. इन वाहनों को बिना परमिट, बिना फिटनेस, बकाया टैक्स, बिना इंश्योरेंस आदि के स्कूली छात्रों को परिवहन करते पाया गया. साथ ही पूर्व से जब्त वाहन से मोटर यान कर के 10,87,901 रूपये जमा कराए गए.

कार्यालय नगर पालिका परिषद् हरदा, जिला हरदा म .प्र .

क्रमांक 5783/जल प्रदाय शाखा/2025 हरदा, दिनांक 14/8/2025

ई-निविदा सूचना

Tender Notice No. 2024_UAD_389426_1 Date 8-8-2025

कार्य का नाम:- हरदा निकाय क्षेत्र के अंतर्गत शहर के अलग-अलग निम्न 15 स्थानों में नगर पालिका कार्यालय उद्यान, बस स्टैंड टंकी के पास, स्टेडियम टंकी के पास, वार्ड क्र. 02 नई आबादी अंतिम क्षेत्र, वार्ड क्र. 19 महाराणा प्रताप कॉलोनी पार्क के पास, वार्ड क्र. 32 मंगल द्वार कॉलोनी, वार्ड क्र. 28 शुक्ला कॉलोनी, वार्ड क्र. 29 फाइल वार्ड शंकर मंदिर के पास, वार्ड क्र. 31 कब्रिस्तान रोड के पास, वार्ड क्र. 31 बायपास रोड, वार्ड क्र. 32 पैरासिटी कॉलोनी पंचमुखी हनुमान मंदिर पार्क के पास, वार्ड क्र. 33 वीर तेजाजी वार्ड, वार्ड क्र. 34 विकास नगर क्षेत्र, वार्ड क्र. 34 ग्वाल नगर क्षेत्र, वार्ड क्र. 35 में वीर सावरकर वार्ड में नलकूप खनन कार्य हेतु अनुमानित लागत रु. 24,68,181/-, अमानत राशि रु. 18,511/-, ई-निविदा दिनांक 8/8/2025 से 22/8/2025 तक क्रय किए जा सकते हैं. निविदा सूचना तथा प्रपत्र उपलब्धता: www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है.

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद्, हरदा

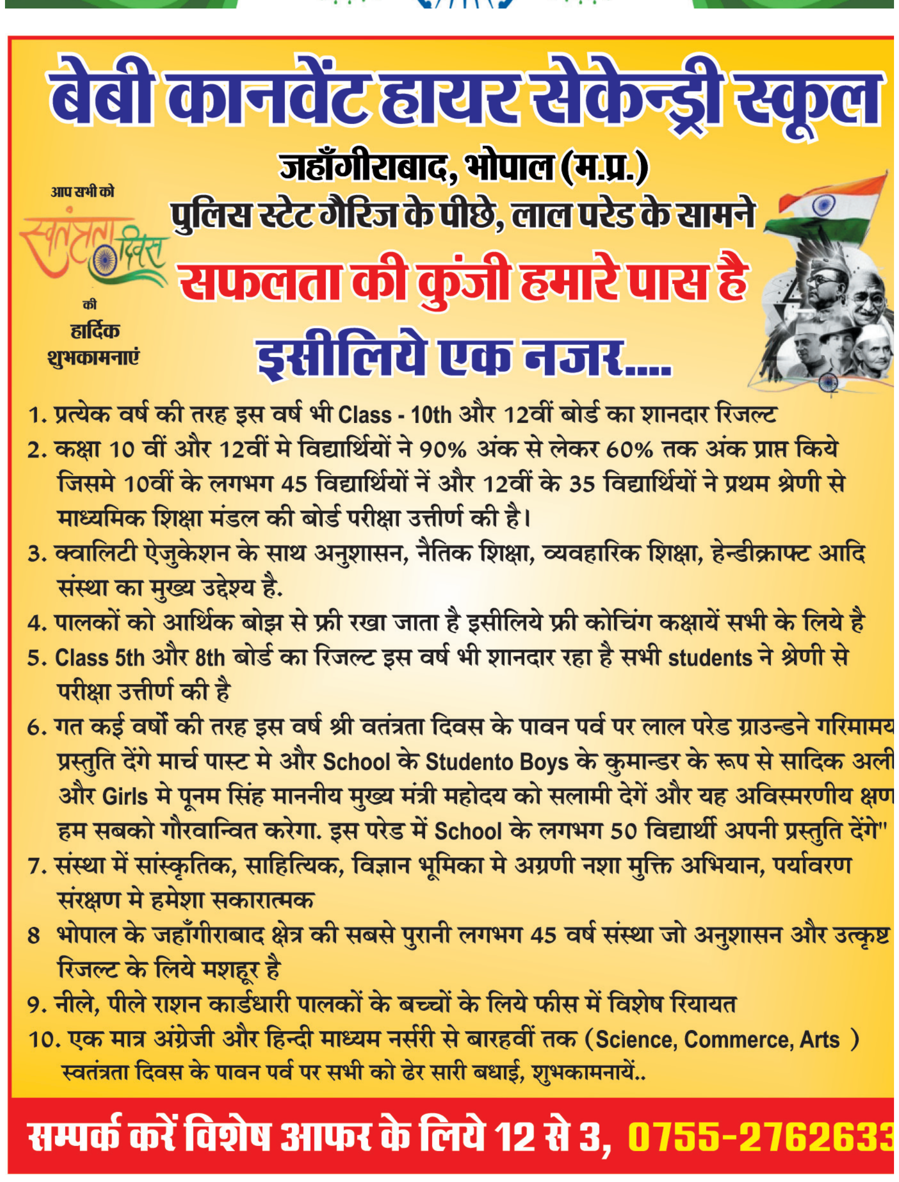

हथाईखेड़ा तालाब के पास कचरा फेंकने 1 हजार का जुर्माना

भोपाल, 14 अगस्त. नगर निगम द्वारा शहर की साफ-सफाई व्यवस्था को उच्च स्तरीय बनाने हेतु निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है.

सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने, कचरा पृथक्कीकरण, दुकानों पर गीले-सूखे कचरे के लिए पृथक-पृथक डस्टबिन रखने, कचरा एकत्र करने आने वाले सफाई मित्रों को ही कचरा देने जैसे स्वच्छता के मानकों का पालन न करने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का विक्रय करने वालों के विरूद्ध स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है. इसी तारतम्य में निगम के जोन क्र. 15 के अमले ने गाड़ी में भरा मिक्स कचरा हथाईखेड़ा तालाब के पास फेंकने वाले के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 01 हजार रूपये का जुर्माना वसूल किया और कचरा निगम के कचरा वाहन को ही देने की समझाइश दी साथ ही गांधी मार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक का विक्रय के विरूद्ध कार्यवाही में 02 हजार रूपये का जुर्माना वसूल किया और 05 किलो सिंगल यूज पालीथीन जब्त की.